

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10

भारत

TEN
RUPEES
Rs.10

DIA NON JUDICIAL



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

11AA 812346

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

16, बिहारीलाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं चरन्द्रभाइज पुत्र स्वरूप चन्द्र आयु 41 वर्ष, जो झाड़ीवाला, हरिनाथपुर,
उत्तराखण्ड, (..... उत्तराखण्ड विधान सभा) का
निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं:-


मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय
किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम
अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए
हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हैं तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी): -

Gopal Singh

2.

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ लोगू जही
(ii) पुलिस थाना (थाने) लोगू जही जिला या जिले लोगू जही राज्य लोगू जही
(iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लोगू जही
(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचनाक की गई लोगू जही
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे लोगू जही
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं लोगू जही



मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाली अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है ।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा): -

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ लोगू जही
(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है लोगू जही
(iii) पुलिस थाना (थाने) लोगू जही जिला (जिले) लोगू जही राज्य लोगू जही
(iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लोगू जही

[Signature]

.3.

(v) तारीख (तारीखे) जिनकों दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.....

.....
लोअर जहां.....

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.....
लोअर जहां.....

स्थान: *देहरादून*
तारीख: - 09/01/2012

Croptual
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन



मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस शपथपत्र की अन्तर्वर्स्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्प्रक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून..... स्थान पर आज तारीख 09/01/2012 को सत्यापित किया।

This affidavit is sworn before me by
Shri. *Chaudhary Mohan S. Lalwani*
who is identified by *.....*
at Dehradun on

N. K. Jaiswal
Advocate & NOTARY, Dehradun.
AMW

Croptual
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर